




ब्याँस गाउँपालिका
आर्थिक ऐन, २०८२



ब्याँस गाउँपालिका
सुन्सेरा, दार्चुला
आ.व. २०८२/८३

मंगल सिंह धामी
(गाउँपालिका अध्यक्ष)

स्वीकृत मिति: २०८२ असार ७ गते
प्रमाणिकरण मिति: २०८२ असार ८ गते

ब्यांस गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८२

प्रस्तावना:

ब्यांस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको (भाग १९ को स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली) धारा २३० र अनुसूची ८ र ९ बमोजिम ब्यांस गाउँपालिकाको गाउँ सभाले स्वीकृत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गरी यो ऐन बनाउन बाझ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम ब्यांस गाउँपालिकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "ब्यांस गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८२" रहेको छ ।
 (२) यो ऐन, २०८२ साल श्रावण १ गते देखि ब्यांस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लागु हुनेछ ।
२. परिभाषा:- विषय वा प्रशंगले अर्को अर्थ नलगेमा यस ऐनमा,-
 - (क) "ऐन" भन्नाले आर्थिक ऐन २०८२ लाई सम्झनु पर्दछ ।
 - (ख) "कर" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार लागेको वा लाग्ने कर सम्झनु पर्द्ध र सो शब्दले कर अधिकृतले करको अतिरिक्त यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम सो मा लाग्ने जरीवाना समेतलाई जनाउँदछ ।
 - (ग) "करदाता" भन्नाले कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्द्ध र सो शब्दले कर अधिकृतले करको विवरण बुझाउन सूचना दिएको वा अरु कुनै कारवाही प्रकृया शुरू गरेको व्यक्तिलाई समेत जनाउँदछ ।
 - (घ) "कर निर्धारण" भन्नाले यस ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको कर दायित्व निश्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्द्ध र सो शब्दले पुनःकर निर्धारण तथा संशोधित कर निर्धारण समेतलाई जनाउँदछ ।
 - (ड) "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा कार्यविधिमा तोकिए वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्द्ध ।
 - (च) "गाउँपालिका" भन्नाले ब्यांस गाउँपालिका सम्झनु पर्दछ ।
 - (छ) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले ब्यांस गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न तोकिएको कर्मचारी सम्झनु पर्दछ ।
 - (ज) "वडा" भन्नाले वडा समितिको कार्यालयलाई सम्झनु पर्दछ ।
 - (झ) "सभा" भन्नाले गाउँपालिकाको गाउँ सभालाई सम्झनु पर्द्ध ।

मंगल सिंह धामी
(गाउँपालिका अधिकारी)

३. सम्पति कर (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका घर, टहरा तथा भवनहरू र सोले चर्चेको जग्गामा सम्पति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

तर गुठी जग्गामा सम्पति कर लगाइने छैन । नक्सा पेश गर्दा निर्माण कार्यको समय तालिका पेश गरी सोही समय तालिका भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । पेश गरेको समय तालिकाको आधारमा सम्पत्ती करको गणना गरिनेछ । यदि कसैले नक्सा पेश गरेको भन्दा कम तला निर्माण गरी कार्यालयमा जानकारी गराएमा निर्माण भएको संरचनालाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पति करको गणना, दर तथा भौतिक संरचनाको हास कट्टी दर अनुसूची -१ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम सम्पति कर लगाउँदा घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग, अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर, कर तिर्न सक्ने क्षमता, अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजारमूल्यका आधारमा लागू गरिनेछ ।

(४) सम्पति कर संकलन गर्दा घर जग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर समेत एकीकृत रूपमा असूल उपर गर्न सकिनेछ ।

स्पष्टीकरण: "घरले चर्चेको जग्गा" भन्नाले घरले ओगेटेको जग्गाको क्षेत्रफललाई जनाउँदछ ।

४. भूमिकर: (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची-२ बमोजिम भूमि कर/मालपोत लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर दफा २ बमोजिम सम्पति कर लगाएको जग्गामा भूमीकर (मालपोत) लगाई छैन ।

५. घर जग्गा बहाल कर: (१) व्यास गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, रस्योरज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, छप्पर जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा लगाई हुने आम्दानी र आम्दानी हुने गरि अन्य कुनै सम्पति बहालमा दिएकोमा उक्त रकममा बहाल कर लगाई नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने घरजग्गा बहाल करको दर अनुसूची-३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने बहाल रकम निर्धारण गर्नको लागि गाउँपालिकाले घरजग्गा रहेको स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारमा न्यूनतम बहाल मूल्य तोकी सोही आधारमा बहाल रकम निर्धारण गरी कर लिन सक्नेछ ।

(४) बहाल कर गाउँपालिकामा दाखिला गर्ने दायित्व घर धनीको हुनेछ । करको दायित्व वहन गर्ने विषयमा बहाल लिने दिनेले आपसी समझदारीमा तय गर्न सक्नेछन् ।

(५) यस ऐन बमोजिम घर जग्गा बहाल करको प्रयोजनको लागि स्वघोषणा फारमको व्यवस्था गरिनेछ । स्वघोषणा प्रतिवेदन कर परीक्षणको सामाग्री बन्न सक्नेछ । तर गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्दा कम हुने छैन ।

(६) स्वघोषणा फारम भर्न इन्कार गरेमा वा ढिलाई गरेमा वा पूर्ण विवरण नदिएमा वडा कार्यालय, राजश्व शाखा वा वडा कार्यालयलाई स्थलगत निरीक्षणमा पढाई घर बहालमा रहेको नरहेको एकीन गरिनेछ ।

(७) बहालमा लगाएको घर जग्गा निश्चित समय खाली रहन गएकोमा त्यस अवधिको कर कट्टि गर्न सकिनेछ । खाली रहेको अवधिको व्यहोरा वडा कार्यालय वा वडा सदस्यबाट प्रमाणित गराई पेश गर्नु पर्नेछ ।


मृपल सिंह धामी
(गाउँपालिका अध्यक्ष)

६. व्यवसाय करः (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरि स्थापित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संघसंस्थाले वा निकायलाई व्यवसायिक प्रकृति, आर्थिक कारोबार, स्थान विशेष र लगानीको आधारमा व्यवसाय कर लगाई असुलउपर गरिनेछ ।

(२) उप दफा (१) बमोजिम व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय इजाजत प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरूले वार्षिक रूपमा व्यवसाय कर चुक्ता गरी व्यवसाय नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिने व्यवसाय इजाजत, बन्द तथा दस्तुरको दर व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न लाग्ने लगानी आर्थिक कारोबारको आधारमा अनुसूची-४ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको इजाजत बिना गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न पाईने छैन ।

७. जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, बनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले नियेध गरिएको अन्य मृत वा मारिएका जन्तुको हाड सिंह, प्वाख, छाला, जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरे वापत अनुसूची-५ बमोजिम जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाई असुलउपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई गाउँपालिकाले व्यवसाय दर्ता गर्दा कर बुझाउने शर्त र विधि समेत तोकी अनुमति दिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई गाउँपालिकाले व्यवसाय इजाजत दिदा कर बुझाउने शर्त र विधि समेत तोकी इजाजत दिनेछ ।

८. पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने सेवा शुल्कः (१) गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गरेको वा आफुलाई हस्तान्तरण भई आएको सडक, वाटो तथा पुलबाट आवागमन गर्ने सवारी तथा यातायातका साधनमा पूर्वाधार सेवाको उपयोग गरेवापत सेवा शुल्क लगाई असुलउपर गरिनेछ ।

९. सवारी साधन करः (१) प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम बाँडफाँडबाट गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने सवारी साधन कर संचित कोषमा आम्दानी वार्धिनेछ ।

(२) इन्जिनकाट चल्ने साना सवारीहरू (रिक्सा, ठेला, तागा) तथा दुई पाइये मोटरसाइकल, स्कुटरवा यस्तै प्रकृतिका सवारी साधनको अनुसूची-६ बमोजिम साना सवारी कर लगाई असुलउपर गरिनेछ ।

१०. विज्ञापन करः (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन, प्रचारप्रसार आदिका लागि राख दिने डिजिटल बोर्ड, साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा प्रदेश सरकारले तोके अनुसार अनुसूची-७ बमोजिम विज्ञापन कर लगाई असूल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि गाउँ कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागू गर्न सक्नेछ । गाउँपालिका को स्वीकृति बिना कुनै पनि प्रकारका डिजिटल बोर्ड, साइनबोर्ड, होडिङ्बोर्ड आदि राख्न पाइने छैन । स्वीकृती नलिइ यस्तो कार्य गरेमा जरिवाना

लिईनेछ वा डिजिटल बोर्ड, साइनबोर्ड, होडिङ बोर्ड आदि हटाउने वा दुवै कार्य गाउँपालिकाले गर्न सक्नेछ ।

३) यस दफा बमोजिम गाउँपालिकाले उठाएको विज्ञापन कर वापतको रकम प्रचलित प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसँग बाँडफाँड गरिनेछ ।

११. मनोरञ्जन कर: (१) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सिनेमाहल, सांस्कृतिक प्रदर्शनिहल, थिएटर सङ्गीत, मनोरञ्जन, प्रदर्शनस्थल, जादू सर्कस, चटक जस्ता मनोरञ्जन सेवामा प्रदेश कानूनले तोके अनुसार अनुसूची-८ बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि गाउँ कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागू गर्न सक्नेछ । गाउँपालिकाको स्वीकृति विना सिनेमा हल, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर सङ्गीत, मनोरञ्जन प्रदर्शनस्थल, जादू सर्कस, चटक जस्ता कुनै पनि मनोरञ्जन व्यवसाय गर्न पाइने छैन । स्वीकृति नलिइ यस्तो कार्य गरेमा गाउँपालिकाले प्रचलित कानून बमोजिम दण्ड वा जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

३) उप दफा (१) बमोजिमको रकम गाउँपालिकाले उठाई मनोरञ्जन कर वापतको रकम प्रचलित प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसँग बाँडफाँड गरिनेछ ।

१२. बहाल विटौरी शुल्क: (१) गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका घर पसल ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, छुप्पर, कारखाना, निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका देहाय अनुसारका सम्पत्तिहरूमा अनुसूची-९ बमोजिमको दरमा बहाल विटौरी शुल्क लगाइने र उठाउन सक्नेछः

क) आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा भएका अस्थायी टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास,

ख) गाउँपालिकाले तोकेको सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा थापेका पसल,

२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्तिमा विटौरी कर उठाउनका लागि कार्यपालिकाले न्यूनतम दर निर्धारण गरी बोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यम अपनाउन सक्नेछ ।

३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सम्पत्तिमा विटौरी कर उठाउनका लागि गाउँपालिकाले त्यस्तो स्थानमा खरिद विक्री हुने बस्तु तथा सेवा एवं कारोबारको आधारमा तोकेको न्यूनतम विटौरी शुल्कको दरमा बोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमबाट विटौरीमा दिन सक्नेछ ।

४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम विटौरीमा दिदा शर्त सहित समझौता गरी दिनु पर्नेछ ।

१३. सेवा शुल्क: १) गाउँपालिकाले निर्माण वा संचालन तथा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूर्वाधार सेवा उपयोग गरे वापत वा उपलब्ध गराएका देहायका सम्बन्धित सेवा प्रदायक वा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क, दस्तुर अनुसूची-१० बमोजिम लगाई असूल उपर गरिनेछः

क) खानेपानी, विजुली, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा,

ख) फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा,

ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास, हाटबजार, पशु बधशाला, शबदाहगृह, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य सेवा,

घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल जस्ता सेवा,

ड) एम्बुलेन्स सेवा,

४०
मंगल सिंह धामी
(गाउँपालिका अध्यक्ष)

च) अचल सम्पति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,
 छ) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १२ उपदफा २ को^{डे}
 वमोजिम गाउँपालिकाको बढा कार्यालयले प्रदान गर्ने सबै सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कार्य
 ज) गाउँपालिकाद्वारा सहकारी संस्था, एफ.एम. रेडियो, “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत,
 विद्यालय स्थापना, विद्यालयको कक्षा थप, विषय थप अनुमति, नाम परिवर्तन, ठाउँसारी, ट्युसन तथा
 कोचिङ्ग सेन्टर, औषधी पसल, स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण खारेजी तथा नियमन
 आदि सेवामा सेवा शुल्क तथा सिफारिस दस्तुर ।

१४. प्राकृतिक स्रोत साधन कर: (१) गाउँपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पति वा आफ्नो
 रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थलवाट उत्पादन हुने दुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी,
 स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुहरूको विक्री गर्न सक्नेछ ।

२) गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र उत्पादन भै आफ्नो सीमा क्षेत्र भन्दा बाहिर निकासी हुने
 दुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बाह्य
 निकासीमा निकासी शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

३) उपदफा (१) र (२) वमोजिम गाउँपालिकाले गर्ने विक्री तथा लगाउने निकासी शुल्कको
 दर अनुसूची-११ मा तोकिए वमोजिम हुनेछ ।

४) उपदफा (१) वमोजिमका वस्तुहरू विक्री तथा उपदफा (२) वमोजिमको निकासी शुल्क
 असूलीका लागि विक्री तथा निकासी परिमाण तथा दर निर्धारण गरी बोलपत्र, दरभाउ पत्र वा डाँक
 बढावढको माध्यमबाट गरिनेछ ।

१५. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क: (१) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेश कानूनले तोके वमोजिम लगाइने र
 उठाइनेछ ।

२) उपदफा (१) वमोजिम उठेको रकम प्रदेश कानून वमोजिम बाँडफाँड गरिनेछ ।

१६. नक्सापास दस्तुर: (१) गाउँपालिका क्षेत्र भित्र नक्सा पास गर्दा लाग्ने दस्तुर अनुसूची -१२ वमोजिम
 लगाईने तथा असुल उपर गरिनेछ ।

१७. पार्किङ शुल्क: (१) व्यास गाउँपालिका क्षेत्र भित्र यातायातका साधनहरू गाउँपालिकाबाट निर्माण
 गरेको पार्किङ स्थलमा पार्किङ गरेवापत अनुसूची -१३ वमोजिम पार्किङ शुल्क संकलन गरिनेछ ।

१८. दण्ड जरिवाना: (१) गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कर शुल्क तथा महसुल तोकिएको समयमा
 भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित कानूनमा तोकिएको दर वमोजिम हुनेछ ।

१९. सहकार्यमा राजध संकलन गर्न सकिने: गाउँपालिकाले राजध संकलन गर्दा अन्य स्थानीय तह तथा सेवा
 प्रदायकहरू संगको सहकार्य प्रभावकारी हुने देखिएमा गाउँकार्यपालिकाले निर्णय गरि सहकार्यमा राजध
 संकलन गर्न सकिनेछ ।

२०. विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था: गाउँपालिकाले प्रचलित कानून वमोजिम संकलन गरि प्रदेश
 सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रकृतिका राजधहरू यस कोषमा जम्मा गरि तोकिए वमोजिम बाँडफाँड
 गरिनेछ ।

प्राप्ति सिंह धामी
 (गाउँपालिका अध्यक्ष)

२१. कर छुट: (१) यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई सामान्यतया कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
२२. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: (१) यस ऐनमा उल्लेख गरिएका विषयहरुमा यसै बमोजिम तथा छुटफुट विषय साविक बमोजिम र उल्लेख नगरिएका विषयमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
२३. दर घटाउन वा बढाउन सक्ने: यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आवश्यकता अनुसार गाउँकार्यपालिका बैठकले यस ऐन बमोजिम लगाएका दस्तुर शुल्क, महसुलको दर घटाउन वा बढाउन सक्नेछ ।
२४. कार्यविधि बनाउन सक्ने: (१) ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि गाउँपालिकाले आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
 (२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको कार्यविधि वा निर्देशिका कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई सार्वजनिक भए पछि लागू हुनेछ ।
२५. यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने: (१) यो ऐन जारी हुनु अघि भए/गरेका व्यवस्थाहरु यसै ऐन बमोजिम भए/गरेको मानिने छ ।
२६. बाधा अड्काउ फुकाउ: (१) यस ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रममा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षमा रहनेछ र त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउको विषय कार्यपालिका मार्फत गाउँ सभामा पेश हुनेछ ।
२७. खारेजी: (१) साविकमा व्यांस गाउँपालिकाले लागु गर्दै आएका आर्थिक ऐनसंग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु यस ऐनसंग प्रतिकूल देखिएमा प्रतिकूल देखिएको हदसम्म खारेज हुने छन् ।

मानले सिंह धामी
(गाउँपालिका अध्यक्ष)

अनुसूची - १

सम्पति कर

(ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित)

क) घर संरचनाको मुल्याङ्कन (प्रति वर्ग फिटमा)

| सि.नं. | संरचनाको प्रकार | आ.व. २०८१/०८२ | आ.व. २०८२/०८३ | कै. |
|--------|--|---------------|---------------|-----|
| १ | RCC स्टेक्चर भएका पक्की ढलान गरेका मार्वल स्लेट टाईल लगाएका भवनहरू | २,६००.०० | २,६००.०० | |
| २ | RCC स्टेक्चर भएका कच्ची ढलान गरेका भवनहरू | २,१००.०० | २,१००.०० | |
| ३ | दुङ्गा माटोको गाहोको चिनाई गरी पत्थर र जस्तापाताले छाएकाघरहरू | ४००.०० | ४००.०० | |
| ४ | दुङ्गा माटोको गाहोको चिनाई गरी खरले छाएकाघरहरू | ३००.०० | ३००.०० | |
| ५ | टिन फलामको रडमा बनेका घरहरू | ३००.०० | ३००.०० | |

ख) सम्पति करको दर (राजध संकेत: ११३१३)

| सि.न. | विवरण | आ.व. २०८१/८२ | आ.व. २०८२/०८३ | कै. |
|-------|--|----------------------------------|---------------|-----|
| १ | रु. ५ लाख सम्म | १५०.०० | १५०.०० | |
| २ | रु. ५ लाख १ रुपैया देखि २० लाख सम्म (प्रति लाख) | १०.०० | १५.०० | |
| ३ | रु. २० लाख १ रुपैया माथि माथि १ करोड भन्दा तल प्रति लाख। | २५.०० | २५.०० | |
| ४ | रु. १ करोड देखि १० करोड सम्म (प्रति लाख) | ३५.०० | ३५.०० | |
| ५ | प्रत्येक वर्ष माथि उल्लेखित कर नवुझाउने करदातालाई प्रति वर्ग ४०% का दरले जरिबाना थप्दै होजाने। | | | |
| ६ | घर जग्गामा रजिस्ट्रेशन शुल्क | प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ। | | |

ग) संरचनाको हासकटी दर (प्रतिशतमा)

| क्र.सं. | घरको बनोट | प्रतिवर्ष हास कटी दर | हासकटी गर्ने जम्मा वर्ष | कै. |
|---------|--|----------------------|-------------------------|-----|
| १ | RCC स्टेक्चर भएका पक्की ढलान गरेका मार्वल स्लेट टाईल लगाएका भवनहरू | २.२५ प्रतिशत | ३५ वर्ष | |
| २ | RCC स्टेक्चर भएका कच्ची ढलान गरेका भवनहरू | २.२५ प्रतिशत | ३५ वर्ष | |
| ३ | दुङ्गा माटोको गाहोको चिनाई गरी पत्थर र जस्तापाताले छाएकाघरहरू | २.२५ प्रतिशत | ३५ वर्ष | |
| ४ | दुङ्गा माटोको गाहोको चिनाई गरी खरले छाएकाघरहरू | ३ प्रतिशत | २५ वर्ष | |
| ५ | टिन फलामको रडमा बनेका घरहरू | ३ प्रतिशत | २५ वर्ष | |
| ६ | RCC स्टेक्चर भएका पक्की ढलान गरेका मार्वल स्लेट टाईल लगाएका भवनहरू | ५ प्रतिशत | १५ वर्ष | |

मंगल सिंह धामी
(गाउँपालिका अध्यक्ष)

व्यास गाउँपालिका दार्चुलाको आर्थिक ऐन, २०८२

अनुसूची - २

भातपोत/भूमिकर

(ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

क) जागाको मूल्याङ्कन दर (प्रति रोपनीमा)

| बडा नं. | जागाको किसिम क्षेत्र | जागाको विवरण | आ.व. २०८१/८२ | आ.व. २०८२/८३ | कैफियत |
|---------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------|
| १ | पाखो तर्फ | चाहार/ पाँचौ व्यास | ३५,०००.०० | ३५,०००.०० | |
| | | खर व्यास | २१,०००.०० | २१,०००.०० | |
| २ | पाखो तर्फ | चाहार/पाँचौ राप्ता | ३५,०००.०० | ३५,०००.०० | |
| | | खर राप्ता | २१,०००.०० | २१,०००.०० | |
| ३ | पाखो तर्फका | दोयम सुन्सेरा साविक १,२,३ र बडा नं. ९ | ३८,५००.०० | ३८,५००.०० | |
| | | सिम सुन्सेरा साविक १,२,३ र बडा नं. ९ | ३३,०००.०० | ३३,०००.०० | |
| | | चाहार सुन्सेरा साविक १,२,३ र बडा नं. ९ | २६,५००.०० | २६,५००.०० | |
| | | खर सुन्सेरा साविक १,२,३ र बडा नं. ९ | ११,०००.०० | ११,०००.०० | |
| ४ | पाखो तर्फ | दोयम सुन्सेरा साविक ४ देखि ८ सम्म | ३८,५००.०० | ३८,५००.०० | |
| | | सिम सुन्सेरा साविक ४ देखि ८ सम्म | ३३,०००.०० | ३३,०००.०० | |
| | | चाहार सुन्सेरा साविक ४ देखि ८ सम्म | २६,५००.०० | २६,५००.०० | |
| | | खर सुन्सेरा साविक ४ देखि ८ सम्म | ११,०००.०० | ११,०००.०० | |
| | | दोयम घौलाकोट साविक १ र २ | ७२,५००.०० | ७२,५००.०० | |
| | | सिम साविक १ र २ | ६६,५००.०० | ६६,५००.०० | |
| | | चाहार घौलाकोट साविक १ र २ | ६१,५००.०० | ६१,५००.०० | |

मंगल प्रिंह धामी
(गाउँपालिका अध्यक्ष)

ब्यास गाउँपालिका दार्युलाको अर्थिक ऐन, २०८२

| | | | | |
|---|---|---|------------|------------|
| | | सर धौलाकोट साविक १ र २ | २२,०००.०० | २२,०००.०० |
| | दार्ढुता तिकर सडक दायीबायाका जगाहर | दोयम सुन्सेरा साविक ४ देखि ८ सम्म | ६४०,०००.०० | ६४०,०००.०० |
| | | सिम/चाहार सुन्सेरा साविक ४ देखि ८ सम्म | ६६५,०००.०० | ६६५,०००.०० |
| | | सर सुन्सेरा साविक ४ देखि ८ सम्म | ३३८,०००.०० | ३३८,०००.०० |
| | | दोयम धौलाकोट साविक १ र २ | ६४०,०००.०० | ६४०,०००.०० |
| | | सिम/चाहार साविक १ र २ | ६६५,०००.०० | ६६५,०००.०० |
| | | सर धौलाकोट साविक १ र २ | ३३८,०००.०० | ३३८,०००.०० |
| ५ | पांचो तर्फ | दोयम साविक धौलाकोट ३ देखि ९ बडा सम्म | ७२,५००.०० | ७२,५००.०० |
| | | सिम साविक धौलाकोट ३ देखि ९ बडा सम्म | ६६,५००.०० | ६६,५००.०० |
| | | चाहार साविक धौलाकोट ३ देखि ९ बडा सम्म | ६९,५००.०० | ६९,५००.०० |
| | | सर साविक धौलाकोट ३ देखि ९ बडा सम्म | २२,०००.०० | २२,०००.०० |
| | दार्ढुला सडक दायीबायाँ | दोयम साविक धौलाकोट ३ देखि ९ बडा सम्म | ६४०,०००.०० | ६४०,०००.०० |
| | | सिम/चाहार साविक धौलाकोट ३ देखि ९ बडा सम्म | ६६५,०००.०० | ६६५,०००.०० |
| | | सर साविक धौलाकोट ३ देखि ९ बडा सम्म | ३३८,०००.०० | ३३८,०००.०० |
| ६ | संत तर्फ | सिम हुती | ४४,५००.०० | ४४,५००.०० |
| | | चाहार हुती | ४६,५००.०० | ४६,५००.०० |
| | पांचो तर्फ | सिम हुती | ३३,५००.०० | ३३,५००.०० |

मंगल सिंह धामी

व्यास गाउँपालिका दार्चुला को आर्थिक ऐन, २०८२

| | | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------|--|
| | चाहार हुती | सुमोरा, दार्चुला, नेपाल खरपक्षि विभाग, नेपाल ३०,५००.०० | ३०,५००.०० | |
| | खर हुती | १६,०००.०० | १६,०००.०० | |
| दार्चुला तिकर सडक दायाँ वायाँ | दोयम हुती | ६४०,०००.०० | ६४०,०००.०० | |
| | सिम/चाहार हुती | ६६५,०००.०० | ६६५,०००.०० | |
| | खर हुती | ३७८,०००.०० | ३७८,०००.०० | |
| आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र | सबै किसिमको जग्गा व्यास गाउँपालिका भरी | १,०००,०००.०० | १,०००,०००.०० | |

ख) मालपोत (भूमीकर) को दर रकम रु. (प्रति रोपनीमा) (राजध संकेत: ११३१४)

| बडा नं. | जग्गाको प्रकार | जग्गाको विवरण | आ.व. २०८१/८२ | आ.व. २०८२/८३ | जरिवाना | के. |
|--|---|---------------|-----------------|--------------|--|-----|
| १ र २ | पाखो तर्फ | चाहार | ५.०० | ५.०० | प्रत्येक वर्ष मालपोत कर नवुझाउने करदातालाई प्रति वर्ष ४०% का दरले मालपोत जरिवाना थप्दै लैजाने। | |
| | | खर | ५.०० | ५.०० | | |
| बडा नं. ३, ४, ५ र ६ | खेत तर्फ | दोयम | ८.०० | ८.०० | | |
| | | सिम | ८.०० | ८.०० | | |
| | | चाहार | ८.०० | ८.०० | | |
| | | दोयम | ५.०० | ५.०० | | |
| | पाखो तर्फ | सिम | ५.०० | ५.०० | | |
| | | चाहार | ५.०० | ५.०० | | |
| | | खर | ५.०० | ५.०० | | |
| | | दोयम | १२.०० | १२.०० | | |
| | खेत तर्फ | सिम | १२.०० | १२.०० | | |
| | | चाहार | १२.०० | १२.०० | | |
| | | दोयम | १२.०० | १२.०० | | |
| | | सिम | १२.०० | १२.०० | | |
| सडक दाया वायाँका सबै किसिमका जग्गाहरु | पाखो तर्फ | चाहार | १२.०० | १२.०० | | |
| | | खर | ८.०० | ८.०० | | |
| | | दोयम | १२.०० | १२.०० | | |
| | | सिम | १२.०० | १२.०० | | |
| | व्यवसायिक क्षेत्रका सबै किसिमका जग्गाहरु | चाहार | १२.०० | १२.०० | | |
| | | दोयम | १५.०० | १५.०० | | |
| | | सिम | १५.०० | १५.०० | | |
| | | खर | ८.०० | ८.०० | | |

मंगलसिंह धापाई
(व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष)

अनुसूची - ३

घर जग्गा बहाल कर

(ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

क) बहाल कर निर्धारण प्रकृया

अ) बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानि दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक अवधिलाई आधार मानि बहाल कर बुझाउनु पर्नेछ ।

आ) क्षेत्रगत आधारमा व्यास गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाले न्यूनमत बहाल कर तोक्ने प्रयोजनका लागि बहाल कर कार्यविधि बनाई लागू गर्न सकिनेछ ।

ख) घर बहाल कर(राजश्व संकेत: ११३२१)

अ) बहाल रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम बहाल कर असुल गरिनेछ ।

आ) संगठित संघ संस्था, कम्पनी वा सरकारी/गैरसरकारी कार्यालयहरूले बहालमा बसे वापत बहाल रकम बुझाउदा सोतमै अग्रिम बहाल कर कट्टी गरी कट्टी रकम गाउँपालिकाको आन्तरिक राजश्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ । साथै यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र गाडी, मेसिनरी औजार, डोजर, निर्माणका साधन लगायत र अन्य साधनहरू भाडामा लगाएमा भाडा रकममा १० प्रतिशत बहाल करलगाइनेछ ।

अनुसूची - ४

व्यवसाय कर

(ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

| क्र. सं. | विवरण | चातु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत | | आ.व. २०८२/८३ को लागि प्रस्तावित | | जरिवाना दस्तुर | कै. |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----|
| | | दर्ता/वार्षिक शुल्क | नविकरण शुल्क | दर्ता/वार्षिक शुल्क | नविकरण शुल्क | | |
| क) व्यवसाय कर (राजश्व संकेत: ११६१३) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------------------|--|
| १ | चिया, नास्ता पसल | ५००.०० | २००.०० | ५००.०० | ५००.०० | व्यवसायकर वार्षिक | |
| २ | किराना पसल, खाधान्न पसल | १,०००.०० | ५००.०० | १,०००.०० | ५००.०० | रूपमा | |
| ३ | रेस्टरेन्ट, होटल, वार | २,०००.०० | ५००.०० | २,०००.०० | १,०००.०० | नविकरण | |
| ४ | खाधान्न पसल, किराना पसल र चिया नास्ता समेत भएको पसल | १,०००.०० | ५००.०० | १,०००.०० | १,०००.०० | नगरेन | |
| ५ | घुम्ती पसल प्रति व्यवसायिक व्यक्ती (कपडा, भाँडावर्तन, सुनचौरी, मूर्ती आदि) | १,०००.०० | ५००.०० | १,०००.०० | १,०००.०० | व्यवसायीया ट रकम | |
| ६ | तयारी पोसाक वा कौचो कपडा पसल | १,०००.०० | ५००.०० | १,०००.०० | ५००.०० | व्यवसाय रकम | |
| ७ | स्टेसनरी तथा खेलकुद सामग्री पसल | १,०००.०० | ५००.०० | १,०००.०० | ५००.०० | वार्षिक रूपमा ४० | |
| ८ | कम्प्युटर सप्लायर तथा विक्री मर्मत पसल र इन्स्च्युट | २,५००.०० | १,५००.०० | २,५००.०० | १,५००.०० | प्रतिशत | |
| ९ | फोटो स्टुडियो | १,५००.०० | १,०००.०० | १,५००.०० | १,०००.०० | जरिवाना | |
| १० | फोटो स्टुडियो कलरल्याब सहित | २,५००.०० | १,०००.०० | २,५००.०० | १,५००.०० | लिई | |
| ११ | पेन्टिङ पसल (आर्टव्यवसाय) | १,०००.०० | १००.०० | १,०००.०० | ५००.०० | संकलन | |
| १२ | मासु पसल | १,०००.०० | ५००.०० | १,०००.०० | ५००.०० | गरिनेछ । | |
| १३ | कपाल काट्ने सैलुन | ५००.०० | २५०.०० | ५००.०० | ५००.०० | | |
| १४ | ब्यूटी पार्लर | २,०००.०० | १,०००.०० | २,०००.०० | १,०००.०० | | |

मंगल सिंह धामी

प्राप्त नमूना गाउँपालिका अ.प.प.१



| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| १५ | निर्माण सामग्री पसल | ३,०००.०० | १,५००.०० | ३,०००.०० | १,५००.०० |
| १६ | भाँडा पसल | २,५००.०० | १,५००.०० | २,५००.०० | १,५००.०० |
| १७ | मोटर साइकल वर्कसप | २,०००.०० | १,०००.०० | २,०००.०० | १,०००.०० |
| १८ | जिप, बस, ट्रक, ट्रेक्टर, वर्कसप | ३,०००.०० | १,५००.०० | ३,०००.०० | १,५००.०० |
| १९ | सामान्य औषधी पसल | १,०००.०० | ५००.०० | १,०००.०० | ५००.०० |
| २० | ल्याव, एक्सरे सहितको औषधी पसल | ३,०००.०० | १,५००.०० | ३,०००.०० | १,५००.०० |
| २१ | सून चौंडी पसल (सानो/ठुलो) | ३,०००.०० | १,५००.०० | ३,०००.०० | १,५००.०० |
| २२ | सामानको थोक विकेत (गल्ला तथा किराना) | ५,०००.०० | २,५००.०० | ५,०००.०० | २,५००.०० |
| २३ | टेलरीङ पसल | ५००.०० | २५०.०० | ५००.०० | २५०.०० |
| २४ | निर्माण व्यवसायी (घ) वर्ग | ११,०००.०० | ४,०००.०० | १२,०००.०० | ४,५००.०० |
| २५ | प्रिल उद्योग तथा व्यवसाय सम्पाद्यर्थ विक्रि वितरण पसल | ३,०००.०० | १,५००.०० | ३,०००.०० | १,५००.०० |
| २६ | फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग उद्योग सम्पाद्यर्थ विक्रि वितरण पसल | ३,०००.०० | १,५००.०० | ३,०००.०० | १,५००.०० |
| २७ | खाद्य उद्योग (पाउरोटी, चाउमीन, चाउचाउ) | २,०००.०० | १,०००.०० | २,०००.०० | १,०००.०० |
| २८ | लघु जल विद्युत आयोजना प्रति किलो वाट | २००.०० | १५०.०० | २००.०० | १५०.०० |
| २९ | कुटानी पिसानी मिल | २,०००.०० | १,०००.०० | २,०००.०० | १,०००.०० |
| ३० | घट १२ महिने | १५०.०० | ५०.०० | १५०.०० | ५०.०० |
| ३१ | घट ६ महिने | १००.०० | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| ३२ | घट आशिक रुपमा चल्ने | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| ३३ | थ्रेसर उद्योग (गहु, जौ, मके, धान आदि) | १,५००.०० | ५००.०० | १,५००.०० | ५००.०० |
| ३४ | क्रसर उद्योग | २०,०००.०० | १५,०००.०० | २०,०००.०० | १५,०००.०० |
| ३५ | हाईड्रो पावर | २०,०००.०० | १५,०००.०० | २०,०००.०० | १५,०००.०० |
| ३६ | लघु उद्यमी समुह तथा कृषि समुह | १,०००.०० | ५००.०० | १,०००.०० | ५००.०० |
| ३७ | हाते होनियारी उद्योग तथा तालिम केन्द्र | १,५००.०० | १,०००.०० | १,५००.०० | १,०००.०० |
| ३८ | सिलाई कटाई उद्योग तथा तालिम केन्द्र | १,५००.०० | १,०००.०० | १,५००.०० | १,०००.०० |
| ३९ | अन्य उद्योग तथा व्यवसाय | २,०००.०० | ५००.०० | २,०००.०० | ५००.०० |
| ४० | कुखुरापालन व्यवसाय | १,०००.०० | १,०००.०० | १,०००.०० | १,०००.०० |
| ४१ | बाघापालन व्यवसाय | ५००.०० | ४००.०० | ५००.०० | १,०००.०० |
| ४२ | कृषि तथा पशुपन्थी फर्म | १,०००.०० | ५००.०० | १,०००.०० | १,२००.०० |
| ४३ | कारोबार थप गर्दा थप गरेको कारोबारको ५० प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने। | | | | |

मानाल गिर्ह धामी
गाउँपालिका अध्यक्ष

ब्यास गाउँपालिका दार्चुलाको आर्थिक ऐन, २०८२

ख) वित्तीय सेवा तथा विविध व्यवसाय कर (राजध संकेत: ११६९३)

| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| १ | तथु वित्त कम्पनी वार्षिक कर | ५,०००.०० | ५,०००.०० | ५,०००.०० | |
| २ | सहकारी संस्थाको वार्षिक कर | १,०००.०० | १,०००.०० | १,०००.०० | |
| ३ | बैंक तथा वित्तीय संस्था वार्षिक कर (क वर्ग) | १६,०००.०० | १६,०००.०० | १६,०००.०० | |
| ४ | बैंक तथा वित्तीय संस्था वार्षिक कर (ख वर्ग) | ११,०००.०० | ११,०००.०० | ११,०००.०० | |
| ५ | बैंक तथा वित्तीय संस्था वार्षिक कर (ग वर्ग) | ५,०००.०० | ५,०००.०० | ५,०००.०० | |
| ६ | बैंक तथा वित्तीय संस्था वार्षिक कर (घ वर्ग) | ६,०००.०० | ६,०००.०० | ६,०००.०० | |
| ७ | कलब दर्ता दस्तुर (तर बाल कलब दर्ता निशुल्क हुनेछ) | ५००.०० | २५०.०० | ५००.०० | ३००.०० |
| ८ | अन्य संघ संस्था समुह दर्ता (उपभोक्ता समिति, टोल विकास समिति, आमा समुह, अन्य समुह) | २५०.०० | २५०.०० | ५००.०० | ३००.०० |
| ९ | कोचिड सेन्टर/ट्युसन सेन्टर | २,०००.०० | १,०००.०० | २,०००.०० | १,०००.०० |
| १० | टेलिफोन/नेटवर्कको टावर अनुमति शुल्क | १६,०००.०० | ७,५००.०० | १६,०००.०० | ७,५००.०० |
| ११ | यार्सागुम्बा रक्तन प्रवेश शुल्क | २००.०० | - | २००.०० | - |
| १२ | १ कि.ग्रा. सम्म संकलन गरि निकासा शुल्क | २,०००.०० | - | २,०००.०० | - |
| १३ | १ कि.ग्रा. देखि ३ कि.ग्रा. सम्म संकलन गरि निकासा शुल्क | ४,०००.०० | - | ४,०००.०० | - |
| १४ | ३ कि.ग्रा. देखि ५ कि.ग्रा. सम्म संकलन गरि निकासा शुल्क | ५,५००.०० | - | ५,५००.०० | - |
| १५ | ५ कि.ग्रा. वा सो भन्दा बढी संकलन गरि निकासा शुल्क | १०,०००.०० | - | १०,०००.०० | - |
| १६ | नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र वासिन्दाका लागि अनुमती पत्र सिफारिस | २००.०० | - | ५००.०० | - |
| १७ | बहुयात अनुमती सिफारिस (दार्चुला जिल्ला बाहेक) | ३००.०० | - | ३००.०० | - |

अनुसूची -५

जडिबुटी, कवाढी र जीवजन्तु कर

राजध संकेत: ११६३१

(ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

| क्र. सं. | विवरण | चालु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर | आ.व. २०८२/८३ को लागि प्रस्तावित दर | के |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----|
| १ | रिटापाइर, बनलसुन, दालचिनी, चिराइतो, अल्लो, चिराइतो, रिठा पाइर र तेजपात आदी बनबाट संकलन गरि निकासी गरेकोमा रोयल्टी रकमको प्रतिशत | १०.०० | १०.०० | |
| २ | दालचिनी, चिराइतो, अल्लो, चिराइतो, रिटापाइर र तेजपात आदी आफ्नै जमीनबाट संकलन गरि निकासी गरेकोमा रोयल्टी रकमको प्रतिशत | ५.०० | ५.०० | |
| ३ | कागज जन्य सामानको लागि प्रति किलो ग्राम रु. | ०.५० | ०.५० | |

गणगल सिंह धामी
प्राप्ति नं. ११६३१

ब्यास गाउँपालिका दार्चुलाको आर्थिक ऐन, २०८२

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| ४ | फलाम स्टिल जन्य सामान प्रति किलो रु. ०.५० | ०.५० | ०.५० |
| ५ | भेडा बाढा, खसी, बोका र च्याया निकासी प्रति गोटा रु. | ५०.०० | ५०.०० |
| ६ | भैसी/राँगा निकासी प्रति गोटा रु. | ५००.०० | ५००.०० |
| ७ | गोरु, चौरी, खच्चड र धोडा प्रतिगोटा रु. | २००.०० | २००.०० |

अनुसूची -६

साना सवारी साधन कर

राजघ संकेत: ११४५१

(ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | विवरण | चालु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर | आ.व. २०८२/८३ को लागि प्रस्तावित दर | के. |
|---------|---|---------------------------------|------------------------------------|-----|
| १ | इन्जिनियाट चल्ने २ पाये मोटर साईकल स्कुटर वा यस्तै सवारी साधनको वार्षिक रु. | ५००.०० | ५००.०० | |

अनुसूची -७

विज्ञापन कर

(ऐनको दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

| क्र. सं. | विवरण | चालु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर | आ.व. २०८२/८३ को लागि प्रस्तावित दर | के. |
|----------|-------|---------------------------------|------------------------------------|-----|
|----------|-------|---------------------------------|------------------------------------|-----|

क) विज्ञापन करका दरहरु (राजघ संकेत: ११४७२)

| | | | | |
|---|--|--------|--------|--|
| १ | भित्र लेखन पलेकसबाट तयार गरिएको विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रति वर्ष प्रति वर्ग फिट रु. | ५००.०० | ५००.०० | |
| २ | डिजिटल बोर्ड, रलोसाईन बोर्डमा गरिने विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रति वर्ष प्रति वर्ग फिट रु. | ४०.०० | ४०.०० | |
| ३ | खेलकुद मैदान, मन्दि, मेला, जात्रा, पर्व र यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममा हुने विज्ञापन प्रचार सामग्री अधिकतम १० दिन २० वर्ग फिटमा प्रति दिन रु. | ५०.०० | ५०.०० | |
| ४ | अन्यको हकमा प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष रु. | ३०.०० | ३०.०० | |
| ५ | होर्डिङ बोर्ड लेखन तथा भित्र लेखनको प्रति वर्ग फिट रु. | ९०.०० | ९०.०० | |

क) विज्ञापन क्षेत्र

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| १ | भवनको छत र कौशिमा परिचय पाटी वा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइने छैन । | | | |
| २ | भवनमा इयाल छोपेर परिचय पाटी वा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइने छैन । | | | |
| ३ | बाटोमा सिमाना देखि १० फिट भित्र तथा संधियारको सिमाना देखि ५ फिट भित्र र सार्वजनिक स्थान वा संस्थान वा कार्यालय वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइने छैन । | . | | |

मंगलसिंह धामी
(गाउँपालिका अध्यक्ष)

ब्यास गाउँपालिका दार्चुलाको आर्थिक ऐन, २०८२

| | | | |
|---|--|--|--|
| ४ | सार्वजनिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निर्माण भएका जुनसुकै संचालनमा निर्माण गर्दा कार्यको नाम बाहेक राखिएको जुनसुकै तस्विर वा अक्षरको विज्ञापन कर छुट हुने छैन। | | |
| ५ | भवन जमिन व्यापारिक वा व्यवसायिक केन्द्र होटल रेस्टरेन्ट वा विद्यालय वा पेट्रोल पम्प वा जुनसुकै भवनको भित्र भागमा गर्ने प्रयोजनका लागि राखिएका सामानहरूमा विज्ञापन कर छुट हुने छैन। | | |
| ६ | सुर्ती जन्य मदिरा तथा नेपाल सरकारबाट प्रतिवन्धित वा ब्यास गाउँपालिका नगर कार्यालयकावाट निरेध गरिएका विज्ञापन प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। | | |

अनुसूची -८

मोरङ्गन कर

राजश्व संकेत: ११४७३

(ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | विवरण | चालु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर | आ.व. २०८२/८३ को लागि प्रस्तावित दर | कै. |
|---------|--|---------------------------------------|--|-----|
| १ | एक महिना सम्म जादु सर्कस मेला संचालन गराए वापत वार्षिक रु. | १,०००.०० | १,००६.०० | |

अनुसूची -९

बहाल बिटौरी शुल्क

राजश्व संकेत: ११३२२

(ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | विवरण | चालु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर | आ.व. २०८२/८३ को लागि प्रस्तावित दर | कै. |
|---------|--|--|---|-----|
| १ | सार्वजनिक जग्गाको कृषि प्रयोजनका लागि उपभोग गरे वापत प्रति रोपनी वार्षिक रु. | १०.०० | १०.०० | |
| २ | सार्वजनिक जग्गामा आवायीय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा प्रति रोपनी वार्षिक रु. | २०.०० | २०.०० | |
| ३ | सार्वजनिक जग्गा व्यापारिक व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपभोग गरेका प्रति रोपनी वार्षिक रु. | २५.०० | २५.०० | |
| ४ | सार्वजनिक स्थलमा हाट बजार प्रति पसल (प्रतिदिन) | २००.०० | २००.०० | |
| ५ | सार्वजनिक स्थलमा मेला संचालन प्रति पसल (प्रतिदिन) | २००.०० | २००.०० | |

मानाल सिंह शामी
(गाउँपालिका अधिकारी)

अनुसूची - १०

सेवा शुल्क

(ऐनको दफा १३ को उपर्युक्ता (१) संग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | विवरण | पंतु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर | आ.व. २०८२/८३ को लागि प्रस्तावित दर | जरिवाना दस्तुर | के. |
|--|--|--|--|----------------|-----|
| क) सिफारिस दस्तुर (राजधानी संकेत नम्बर: १४२४३) | | | | | |
| १ | नागरिकताको सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | |
| २ | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस | ३००.०० | ३००.०० | - | |
| ३ | जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि सिफारिस | १५०.०० | ३००.०० | - | |
| ४ | कित्ता काट सिफारिस | २५०.०० | ३००.०० | - | |
| ५ | चार किला प्रमाणित सिफारिस | १५०.०० | ३००.०० | - | |
| ६ | घरपातात (घरको सज्जमिन मुचुल्का गरेवापत) सिफारिस | १५०.०० | ३००.०० | - | |
| ७ | मर्हवाको सह्या/नामसारि सिफारिस | २५०.०० | ३००.०० | - | |
| ८ | जग्गाधनी पुर्जामा घर कायम सिफारिस | २५०.०० | ३००.०० | - | |
| ९ | जग्गाधनी पुर्जामा फोटो-टौस | १५०.०० | ३००.०० | - | |
| १० | जग्गा हकदार/हकवाला सिफारिस | २५०.०० | ३००.०० | - | |
| ११ | सज्जमिन मुचुल्का गरेको | ५०.०० | १००.०० | - | |
| १२ | समझौता, प्रथम किस्ता प्रेक्षिक र खाता सञ्चालन एउटै सिफारिस | तीन लाख सम्म २००, तीन लाख देखि पाँच लाख सम्म ५००, पाँच लाख देखि दश लाख सम्म १०००, दश लाख देखि पचास लाख सम्म १५०० र पचास लाख देखि माथि २००० सिफारिस दस्तुर | तीन लाख सम्म ५००, तीन लाख देखि पाँच लाख सम्म ८००, पाँच लाख देखि दश लाख सम्म १५००, दश लाख देखि पचास लाख सम्म २००० र पचास लाख देखि माथि ३००० सिफारिस दस्तुर | - | |
| १३ | अन्तिम भुक्तानी सिफारिस | | | - | |
| १४ | धरौटी किर्ता, खाता बन्द र खाता सक्रिय सिफारिस | तीन लाख सम्म २००, तीन लाख देखि पाँच लाख सम्म ५००, पाँच लाख देखि दश लाख सम्म १०००, दश लाख देखि पचास लाख सम्म १५०० र पचास लाख देखि माथि २००० सिफारिस दस्तुर | तीन लाख सम्म ५००, तीन लाख देखि पाँच लाख सम्म ८००, पाँच लाख देखि दश लाख सम्म १५००, दश लाख देखि पचास लाख सम्म २००० र पचास लाख देखि माथि ३००० सिफारिस दस्तुर | - | |
| १५ | अन्य सिफारिस (माथि उल्लेखित भन्दा बाहेकका) | २५०.०० | १५०.०० | - | |
| १६ | नेपाल सरकारले मान्यता दिएको मदिरा विकिका लागि इजाजत पत्रको सिफारिस | २५,०००.०० | २५,०००.०० | | |
| १७ | नेपाल सरकारले मान्यता दिएको मदिरा विकिका लागि इजाजत पत्र नविकरणका लागि सिफारिस | २०,०००.०० | २०,०००.०० | | |
| १८ | गैर सरकारी संस्था सिफारिस | १,५००.०० | १,५००.०० | - | |
| १९ | अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सिफारिस | २,५००.०० | २,५००.०० | - | |

सिंहधामी
पाल नम्बर २२५

ब्यास गाउँपालिका दार्चुलाको आर्थिक ऐन, २०८२

प्राप्ति विवरण

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------|---------|----------|---|--|
| २० | अन्य संघ संस्था दर्ता सिफारिस | १,०००.०० | कर्तुला | १,०००.०० | - | |
| २१ | विघुत उडानको तारी शिफारिस | २००.०० | | ३००.०० | - | |
| २२ | परामर्श सेवा दर्ता सिफारिस | २,०००.०० | | २,०००.०० | - | |

ख) व्यक्तिगत घटना दस्तुर (राजध संखेत नम्बर: १४२४४)

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| १ | व्यक्तिगत घटना रहा प्रमाणपत्र प्रतिलिपि | नेपाल सरकारको नियमानुसार हुनेवा । |
| २ | व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब शुल्क | नेपाल सरकारको नियमानुसार हुनेवा । |

ग) प्रमाणित दस्तुर (राजध संखेत नम्बर: १४२४५)

| | | | | | | |
|----|--|--------|--------|---|--|--|
| १ | नाता प्रमाणित सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | | |
| २ | जन्म मिति प्रमाणित सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | | |
| ३ | विवाह प्रमाणित अविवाहित प्रमाणित सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | | |
| ४ | घर पतात प्रमाणित सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | | |
| ५ | व्यक्तिगत प्रमाणित सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | | |
| ६ | जिवित संग नाता प्रमाणित गर्ने सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | | |
| ७ | हक्काला हकदार प्रमाणित गर्ने सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | | |
| ८ | संरक्षक प्रमाणित गर्ने (व्यक्तिगत) सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | | |
| ९ | संरक्षक प्रमाणित गर्ने (संस्थागत) सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | | |
| १० | कागजी भन्नुरी नामा प्रमाणित गर्ने सिफारिस | २००.०० | २००.०० | - | | |

घ) कानूनी सेवा शुल्क तथा दस्तुर (राजध संखेत नम्बर: १४२२१)

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|---|--|--|
| १ | मिलापन कागज गराउने दुवै पक्षवाट (पक्ष/विपक्ष) ५००, ५०० दरले | १,०००.०० | १,०००.०० | - | | |
| २ | उन्नुरी दर्ता दस्तुर | १००.०० | १००.०० | - | | |
| ३ | प्रतिवाद दर्ता दस्तुर | १००.०० | १००.०० | - | | |

इ) शिक्षा क्षेत्रको सेवा शुल्क तथा दस्तुर (राजध संखेत नम्बर: १४२२३)

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|--|--|
| १ | ग्रेटसिट प्रतिलिपि दस्तुर | - | ३००.०० | - | | |
| २ | नतिजा पुनर्योग दस्तुर | - | ५००.०० | - | | |
| ३ | आ.वि. देखि मा.वि सम्म शिक्षक अभियोग कायम दस्तुर | - | २००.०० | - | | |

ज) एम्बुलेन्स सेवा शुल्क (राजध संखेत नम्बर: १४१५१)

| | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|--|--|
| १ | ब्यास गाउँपालिका देखि दुहू गाउँपालिका हिक्ला सम्म | - | २,०००.०० | - | | |
| २ | ब्यास गाउँपालिका देखि खलंगा दार्चुला सम्म | - | ३,०००.०० | - | | |
| ३ | ब्यास गाउँपालिका देखि डोल्पुरा सम्म | - | ९,०००.०० | - | | |

मंगल सिंह धामी

प्राप्ति विवरण

पाता नम्बर: १३

व्यापार वार्षिक दार्शनका अर्थिक ऐल, २०८२

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------|---|--|
| ४ | ब्यास गाउपतिका देखि धनगढी कैलाली सम्म | | १३,०००.०० | - | |
| ५ | ब्यास गाउपतिका देखि कोहतपुर बकि सम्म | | १५,०००.०० | - | |
| ६ | ब्यास गाउपतिका देखि काठमाडौं सम्म | | २५,०००.०० | - | |

नोट: ७५ वर्ष माधिका जेष्ठ नागरिक, क वर्गका अपाहू, गर्भवती तथा १५ दिने सुत्केरी महिला र गव आहन याचाको माधि उल्लेखित भाडा रकम सतप्रतिशत छुट दिइनेछ ।

अनुसूची -११

प्राकृतिक स्रोत कर

राजश संकेत: ११६९९

(ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | विवरण | चातु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर | आ.व. २०८२/८३ को सामि प्रस्तावित दर | के. |
|---------|--|---------------------------------------|--|-----|
| १ | प्राकृतिक स्रोत साधन निकासा दस्तुर प्रति धन मिटर रु. | - | १०.०० | |
| २ | स्थानीय स्तरमा प्रयोग गरिएको दुङ्गा गिटि बालुबा प्रति धन मिटर रु. | - | ३०.०० | |
| ३ | गिटि, बालुबा, हुङ्गा, स्टेट, चुनहुङ्गा, खरीदुङ्गा, अध्यय, सानी उच्चोग, दहतरबहतर आदि प्राकृतिक स्रोतमा अन्य करको दर प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ । | - | - | |

अनुसूची १२

घर नवसा पास दस्तुर

राजशव संकेत: १४२४२

(ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | विवरण | चातु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर | आ.व. २०८२/८३ को सामि प्रस्तावित दर | के. |
|---------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| १ | पझी घर (प्रति कर्ग फिट) | - | ५.०० | |
| २ | कच्ची घर प्रति घर | - | ५००.०० | |
| ३ | घर नवसापास किताब बिकी | - | ५००.०० | |

अनुसूची-१३

पार्किङ शुल्क

राजश संकेत: १४२४१

(ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | विवरण | चातु आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर | आ.व. २०८२/८३ को सामि प्रस्तावित दर | के. |
|---------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| १ | दुई पायेका सामि दैनिक रु. १०.०० | - | १०.०० | |
| २ | चार पाये सानो सबारीका सामि दैनिक रु. ५०.०० | - | ५०.०० | |
| ३ | चार पाये दुलो सबारी साधनको सामि दैनिक रु. ७०.०० | - | ७०.०० | |

मानसिंह खाली
प्राकृतिका अध्यक्ष